

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:एफ 9(4)छात्रवृत्ति/शै.स.2025-26/सान्याअवि/06732-06850525 PF (3) 8158794 दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों द्वारा OTR (One Time Registration) किया जाना अनिवार्य किया गया है।

विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट <https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/login-page> अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना होगा। OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें।

(नसीम खान)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

